न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

देवीलाल बनाम राज0 सरकार

प्रकरण सं0 – 2021/969 (Gcms)

अन्तर्गत धारा– 136 एल.आर.एक्ट

12.11.2021 प्रार्थी देवीलाल पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई साकिन 8 जीएम–ए हाल आबाद 29 एएस–बी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम से जमाबन्दी में दर्ज चक 8 जीएम के मु0 नं0 207/45 के किला नं0 1 ता 5, 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.163 है0 कमाण्ड/अ0क0 रकबे की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबन्दी चक 8 जीएम–ए के मु0 नं0 207/45 के किला नं0 1 ता 5, 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.163 है0 (2.807 क0, 0.356 अ0क0) रकबा देवीलाल पि0 हंसराज जाति बिश्नोई साकिन 29 एएस खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि विकास पुरानी मण्डी घड़साना पूर्ण खाता मुर्तहीन दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा के किला नं0 13/1/0.118, 18/1/0.119, 23/1/0.119 कुल 0.356 है0 अ0क0 रकबा मुताबिक खसरा गिरदावरी सिंचित काश्त दर्ज है। रकबा स्वंय के कब्जा काश्त में है। स्थगन/विवाद नहीं है। वन विभाग से प्रभावित नहीं है। सनद सं0 34596 दिनांक 30.11.89 की चित्रप्रति अनुसार चक 5 जीएम हाल 8 जीएम–ए के मु0 नं0 207/45 के किला नं0 1 ता 5, 7 ता 12, 19 ता 22 की 15–00 कमाण्ड किला नं0 6, 13 ता 18, 23 ता 25 की 10–00 बीघा अ0क0 कुल 25–00 बीघा की टेकचन्द पुत्र भगतराम निवासी धर तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा को जारी हुई है आवंटन दिनांक 25.06.73 अंकित है। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन अ0शा0 खण्ड द्वितीय घड़साना की सीएडी रिपोर्ट सं0 1969 दिनांक 20.02.2021 के अनुसार चक 8 जीएम–ए के मु0 नं0 207/45 की सीएडी स्कीम 14.04.86 से स्वीकृत है। स्वीकृत सीएडी स्कीम के अनुसार मु0 नं0 207/45 के किला नं0 1 ता 5, 8 ता 13, 19 ता 22 की 15–00 बीघा कमाण्ड है। रिसर्वे दिनांक 16.11.1991 के अनुसार किला नं0 6, 7, 14 ता 18, 23 ता 25 की 10 बीघा कमाण्ड हुआ है। प्रार्थी सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि व बकाया किश्त जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। 6–ए व वनविभाग से प्रभावित नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर जमाबन्दी में सीएडी अनुसार दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। प्रार्थी की भूमि सीएडी में अ0क0 से कमाण्ड हो चुकी है। अतः यदि किसी न्यायालय में स्थगन/विवाद ना हो तो नियमानुसार जांचकर प्रार्थी से सीएडी सर्वे अनुसार नियमानुसार अन्तर राशि जमा करवाकर सीएडी सर्वे अनुसार जमाबन्दी में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घड़साना को पालना के लिए पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना